रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 9, 2013/आषाढ़ 18, 1935

No. 337] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 9, 2013/ASADHA 18, 1935

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2013

सा.का.नि. 469(अ).—विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 394(अ), तारीख 21 जून, 2013 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना से अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियाँ जो जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पंद्रह दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ 21 जून 2013 को जनता को उपलब्ध करा दी गईं थीं;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात:-

1. (1) इन नियमों, का संक्षिप्त नाम अमोनियम नाइट्रेट (संशोधन) नियम 2013 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. (क) नियम 5 के परंतुक में, "एक वर्ष की अवधि" शब्दों के स्थान पर "अठारह मास की अवधि" शब्द रखे जायेंगे,

(ख) नियम 12 में निम्नलिखित उप नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

"(9) उप नियम (4) और उप नियम (8) के खंड (iii) में निर्दिष्ट सुरक्षा दूरियां उन अमोनियम भंडारण परिसरों को लागू नहीं होगी जो इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को विधमान थे तथा वह विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन विरचित,विस्फोटक नियम 2008तथा गैस सिलेंडर नियम 2004, के अधीन मंज़ूर की गई अनुज्ञप्तियों के अनुमोदित परिसरों के भीतर थे।"

[फा. सं. 17 (12) 2007-Expls.]

तल्लीन कुमार, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 553 (अ) तारीख 11/7/2012 द्वारा प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2013

G.S.R. 469(E).—Whereas the draft Rules were published to amend the Ammonium Nitrate Rules, 2012, as required by sub-section (1) of section 18 of Explosive Act, 1884 (4 of 1884) vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number G.S.R. 394(E), dated the 21st day of June, 2013 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of fifteen days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on 21st day of June, 2013;

And, whereas, objections and suggestions were received from the public on the said draft rules, have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ammonium Nitrate Rules, 2012, namely:-

1.(1) These rules may be called the Ammonium Nitrate (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Ammonium Nitrate Rules, 2012-

(a) in the proviso of rule 5, for the words “period of one year” the words “period of eighteen months” shall be substituted;

(b) in rule 12, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(9) The requirement of safety distances referred to in sub-rule (4) and clause (iii) of sub-rule (8) shall not be applicable to those Ammonium Nitrate storage premises, which were existing on the date of publication of these rules and were within the approved premises of the licences granted under the Explosives Rules, 2008 and Gas Cylinders Rules, 2004 framed under the Explosives Act, 1884."

[F.No 17(12)2007-Expls.]
TALLEEN KUMAR, Jt. Secy.

NOTE :The principal rules were published in the Gazette of India vide Notification No. G.S.R. 553(E) dated 11/07/2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064